

## उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,प्रधान कार्यालय-लखनऊ।

परिपत्रांक-सी-84

/लेखा/2017-18

दिनांक 01.02.2018

समस्त शाखा प्रबंधक

उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,

उत्तर प्रदेश।

कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या-सी-78/लेखा/2017-18 दिनांक 09.01.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा दैनिक वसूली की शत-प्रतिशत धनराशि प्रधान कार्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट / ऋण प्राप्त कर नाबार्ड किस्त के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। इस ओवरड्राफ्ट/ऋण की अदायगी 30, जून-2018 तक किया जाना अपेक्षित है।

अतः, उक्त के दृष्टिगत प्रधान कार्यालय के परि० संख्या-सी-23/लेखा/2017-18 दिनांक 22.05.2017 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वसूली की 75 प्रतिशत धनराशि पूर्व की भांति प्रधान कार्यालय प्रेषित की जायेगी जबकि अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग ऋण वितरण, प्रबन्धकीय/अन्य व्ययों हेतु किया जायेगा।

उक्त निर्देश दिनांक 01.02.2018 से प्रभावी होंगे।

ह०/-

(के०पी०सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय-लखनऊ।
2. प्रबंधक श्रेणी-2(ITCell) उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का० लखनऊ को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।
3. प्राचार्य, (प्रशिक्षण केन्द्र), उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।

ह०/-

(शैलेश आनन्द)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी